जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष : +91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/LSBA/Proj/91/18/632 दिनांक : 06/09/2019

कार्यालय आदेश

'स्वच्छता', 'शौचालय का सतत् उपयोग', शौचालय निर्माण एवं नियमानुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान में अन्तर की पहचान (Gap Identification) करते हुए उसे दूर किये जाने, 'स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2019,' 'राष्ट्रीय पोषण माह (सितम्बर 2019)' एवं 'जल जीवन हरियाली' के प्रति जागरूकता एवं लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 09 सितंबर से 30 सितंबर 2019 तक विशेष अभियान का संचालन किया जाना है। इस हेतु सभी जीविका दीदियों, कर्मियों एवं कैडरों के लिए सघन रूप से अभियान चलाते हुए जनजागरूकता एवं जनभागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु विशेष अभियान के क्रम में सभी जीविका समूहों, ग्राम संगठनों एवं संकुल स्तरीय संगठनों की बैठक का एजेन्डा का विषय निम्नवत् होगा:-

(क) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।
(ख) राष्ट्रीय पोषण माह (सितम्बर 2019)।
(ग) जल जीवन हरियाली।
(घ) ऋण का पुर्नभुगतान ।

इस विशेष अभियान को सफल बनाने हेतु मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, आशा , ए०एन०एम०, स्वच्छाग्रही/उत्प्रेरक, विभिन्न समुदायों के प्रभावशाली व्यक्ति, सहयोगी संगठनों सहित सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जनसम्पर्क कर अभिसरण (Convergence) किया जायेगा। उपरोक्त संदर्भित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिनांक 09 से 30 सितम्बर 2019 तक संचालित होने वाले विशेष जागरूकता अभियान का सम्पादन निम्नवत् दिये गये रूपरेखा-सह-दिशा निर्देश के अनुरूप किया जायेगा।

क्रम संख्या	दिनांक	कार्य	विषय/कार्यक्रम
1	क) 09 से 14 सितंबर 2019 तक सभी जीविका	सभी जीविका समूहों एवं ग्राम संगठनों एवं संकुल	**विशेष बैठक में चर्चा का एजेंडा :** **(क) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान:** • समुदाय द्वारा शौचालय का सतत उपयोग सुनिश्चित करना।

			• जीविका दीदियों एवं कैडरों द्वारा घर-घर भ्रमण कर शौचालय निर्माण एवं लाभार्थी भुगतान में अंतर
	समूहों की विशेष बैठक की जायेगी एवं दिनांक 15 से 17 सितम्बर तक सभी ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन की विशेष बैठक आयोजित की जायेगी।	स्तरीय संगठनों की बैठक।	(Gap Identification) की पड़ताल करना एवं इसे दूर किया जाना। जो लोग अब तक शौचालय नहीं बनवा सकें हैं, उन्हें उत्प्रेरित कर शौचालय का निर्माण कराना। • लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत वर्ष 2014 के उपरांत शौचालय निर्माण हेतु यदि नियमानुसार देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है तो उन्हें भुगतान हेतु ऑनलाईन आवेदन के प्रति जागरूक करते हुए आवेदन करवाना। • लाभार्थी भुगतान हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बेवसाईट www.lsba.bih.nic.in पर दिये गए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें : ☛ NEW! **निर्मित शौचालय के प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु मोबाइल ऐप का लिंक (दिशानिर्देश)** ☛ NEW! **निर्मित शौचालय के प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु ऑनलाइन लिंक (आवेदन की स्थिति जानें)** • शौचालय की साफ-सफाई एवं समुचित रख-रखाव । • शौचालय में मामूली टूटफूट या तकनीकी खामियों को दूर कर (Retrofitting) कर शौचालय को कार्यरत बनाना। • स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण- 2019 के संबंध में चर्चा कर सभी जीविका दीदियों से टॉल-फ्री नंबर- 18005720112 पर फोन करवा कर या एंड्रायड फोन यूजर द्वारा गूगल प्ले स्टोर

			के माध्यम से 'SSG2019' मोबाइल एप डाउन लोड कर 'Citizen feedback' अनिवार्य रूप से दिलाया जाना। (विवरणी पत्र के साथ संलग्न) **(ख) राष्ट्रीय पोषण माह (सितम्बर 2019)** • राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समाज में पोषण से संबंधित वातावरण का निर्माण करना । • कुपोषण मिटाने हेतु हस्ताक्षर अभियान एवं हाथ धुलाई एवं पोषण शपथ दिलाया जाना। • किचेन गार्डन को बढ़ावा देना एवं खाद्य समूहों पर चर्चा किया जाना। (विवरणी पत्र के साथ संलग्न) **(ग) जल जीवन हरियाली:** • प्रति जीविका समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन दो पौधे लगाया जाना है एवं उसका समुचित देखरेख। • वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं संचयन, जल संचय के पारंपरिक स्रोत यथा- पोखर, आहर, पइन, कुआं आदि का संरक्षण किया जाना। • समुदायों के सहयोग से व्यक्ति एवं सामूहिक वृक्षारोपण अभियान का संचालन किया जाना। (विवरणी/कार्यालय आदेश पत्र के साथ संलग्न है।) **(घ)ऋण के पुर्नभुगतान** • ऋण के पुर्नचक्रण हेतु पुर्नभुगतान को बढ़ावा देना।
2.	दिनांक 18 एवं 20	रैली/समूह चर्चा एवं रात्रि चौपाल	स्वच्छता, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG2019), पोषण, एवं जल जीवन हरियाली के विषय पर जीविका दीदियों एवं कैडरों द्वारा रैली निकालना। इसके उपरांत समूह बनाकर

	सितम्बर तक ।		उपरोक्त विषयों में चर्चा करना एवं रात्रि चौपाल कर लोगों को जागरूक करना।
3	दिनांक 21 से 24 सितंबर 2019 तक।	स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी घरों में जन-सम्पर्क/IPC अभियान।	उपरोक्त विशेष बैठक के एजेंडा के अनुरूप जीविका दीदियों एवं कैडरों द्वारा घर-घर जाकर परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा/IPC करना एवं घर में शौचालय की उपलब्धता व उपयोग, पोषण, जल संचय/संरक्षण की स्थितियों का अवलोकन कर कमियों को दूर करने हेतु उत्प्रेरित करना। यथा- घर-घर जाकर शौचालय उपलब्धता देखना। परिवार द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है तो शौचालय निर्माण हेतु उत्प्रेरित करना। शौचालय उपलब्ध है तो उसका सतत उपयोग एवं समुचित रखरखाव (Maintenance) हेतु परिवार के सदस्यों को प्रेरित करना। शौचालय निर्माण उपरांत लाभार्थियों को नियमानुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने पर ऑनलाईन आवेदन कराया जाना सुनिश्चित करना। संबंधित घर के सभी परिवारों के सदस्यों से टोल फ्री नंबर- 18005720112 पर फोन करवा कर या स्मार्ट फोन से 'SSG2019' मोबाइल एप डाउन लोड करवा कर 'Citizen feedback' दिलवाया जाना। इसके अलावा घरेलू जल संचयन एवं संरक्षण, पोषण माह अंतर्गत कार्यक्रमों के प्रति लक्षित समुदाय को जागरूक करना। रात्रि चौपाल करना एवं निगरानी समिति को सक्रिय बनाना।
4	दिनांक 25 एवं 30 सितम्बर तक।	समुदायों एवं विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ बैठक कर उपरोक्त विषयों पर चर्चा करना,	मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंमर, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, समुदाय के प्रभावशाली लोगों, शिक्षक, विकास मित्र, आवास सहायक आदि से चर्चा कर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण - 2019 अंतर्गत Citizen Feedback, पोषण माह एवं जल जीवन हरियाली के संबंध में जागरूक करना एवं सहयोग प्राप्त करना। सभी ग्राम एवं ग्राम पंचायत

		स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण - 2019 अंतर्गत आमजन से Citizen Feedback एवं वृक्षारोपण अभियान का संचालन।	स्तर पर उक्त कार्य करते हुए सभी मोबाईल स्वामियों से अनिवार्य रूप से Citizen Feedback दिलाया जाना। आम जन से वृक्षारोपण हेतु प्रेरित करते हुए व्यक्तिगत एवं समुह स्तर पर वृक्षारोपण अभियान संचालित करना। पारंपरिक जल स्रोत यथा- पोखर, आहर, पइन, कुआं आदि का संरक्षण किया जाना। किसी जलस्रोत पर अवैध कब्जा है तो इसकी जानकारी एकत्र करना। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण हेतु जागरूकता अभियान का संचालन।
5.	**स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2019:** पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त 2019 से 30 सितंबर 2019 तक 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2019' (SSG-2019) कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके जरिए 'स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण' द्वारा निर्धारित स्वच्छता के मानकों पर प्राप्त की गयी उपलब्धियों के आधार पर देश के सभी जिलों को श्रेणीबद्ध (Ranking) किया जाना है । 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2019' हेतु Citizen Feedback एक महत्वपूर्ण साधन (tool) का उपयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी जीविका दीदियां एंव कैडरों द्वारा टोल फ्री नंबर - 18005720112 एवं 'SSG2019' मोबाइल एप के माध्यम से अनिवार्य रूप से 'Citizen feedback' दिलाया जाए। 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2019' अंतर्गत Citizen Feedback संबंधी जानकारी हेतु नोडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार दत्ता, प्रशिक्षण पदाधिकारी (6204642100), नुरूल होदा, प्रबंधक स्वास्थ्य एवं पोषण (मोबाइल नंबर-7781009405), सुमन लाल कर्ण, राज्य सलाहकार-IEC (7983830114) से संपर्क किया जा सकता है। सिटीजन फीडबैक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिला/प्रखंड को सम्मानित किया जाएगा।	

सभी को निदेशित किया जाता है कि 'स्वच्छता', 'शौचालय का सतत् उपयोग', शौचालय निर्माण में अन्तर की पहचान (Gap Identification) करते हुए उसे दूर किये जाने, 'स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2019,' 'राष्ट्रीय पोषण माह (सितम्बर 2019)' एवं 'जल जीवन हरियाली' के प्रति जागरूकता एवं लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु 9 सितंबर से 30 सितंबर 2019 तक विशेष अभियान का संचालन उपरोक्त रूपरेखा-सह-दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जाए।शौचालय निर्माण उपरांत नियमानुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने की स्थिति पर जीविका दीदियों, कैडरों,

क्षेत्रीय समन्वयकों एवं सामुदायिक समन्वयकों द्वारा इस हेतु ऑनलाईन आवेदन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त अभियान के सफल संचालन हेतु सभी जिला मेन्टर, जिला परियोजना प्रबंधक एवं सभी संबंधित परियोजना प्रबंधक, प्रखण्ड मेन्टर, प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक द्वारा सतत् अनुश्रवण किया जाए एवं आवश्कता अनुसार क्षेत्रभ्रमण किया जाए। हर सप्ताह जिला में संचालित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

06/09/19

(बालामुरूगन डी०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
-सह-मिशन निदेशक।

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA/Roj/91/18/632 दिनांक : 06/09/2019

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जीविका बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी राज्य परियोजना प्रबंधक, जीविका बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : कार्यक्रम समन्वयक, वित्तीय समावेशन एवं G & KM जीविका, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : प्रशासी पदाधिकारी सह राज्य समन्वयक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी BRLPS को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सादर सूचनार्थ।

06/09/19

(बालामुरूगन डी०)

पृष्ठ - 6

अनुलग्नक / विवरणी - 1

मेरा गांव मेरा जिला,
सबसे साफ, सबसे पहला

भारत सार्वजनिक स्वच्छता कवरेज, बेहतर साफ-सफाई और भारत में 2 अक्टुबर 2019 तक खुले में शौच के जाना बंद करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) 2019** शुरू किया है। यह एक्सरसाइज भारत में सभी राज्यों और जिलों को क्वांटिटेटिव/ मात्रात्मक और क्वालिटेटिव/ गुणात्मक स्वच्छता मापदंडों के आधार पर रैंक देगी।

अपने एरिया की स्वच्छता पर फीडबैक प्रदान करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण आपके लिए मौका है। आप निम्नलिखित प्लेटफॉर्म के जरिये अपना फीडबैक प्रदान कर सकते हैं:

टोल फ्री नंबर पर फीडबैक

टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें: 18005720112

- अपनी भाषा चुनने के लिए - दिया गया नंबर दबायें
- एक सहायक आपकी कॉल लेगा और आपकी लोकेशन के लिए पूछेगा
- अपने जिले और गांव के नाम की पुष्टि करें
- अपने गांव की स्वच्छता से संबंधित सवालों के जवाब दें
- कॉल काट दें।

1. अंग्रेजी	5. कन्नड	9. तमिल
2. हिंदी	6. मलयालम	10. तेलगु
3. बंगाली	7. मराठी	11. असमी
4. गुजराती	8. उडिया	12. पंजाबी

मोबाइल एप पर फीडबैक

अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जायें, 'SSG2019' एप के लिए खोजें

- फ्री एप डाउनलोड करें
- एप आपसे आपके जिला और गांव का नाम चुनने के लिए कहेगी
- अपने गांव की स्वच्छता से संबंधित सवालों के जवाब दें
- अपना फीडबैक जमा करें।

सर्वे में भाग लेने के जरिये फीडबैक

- सर्वे में भाग लें यदि टीम आपके गांव में **16 अगस्त से 25 सितंबर** के बीच आती है
- आपके गांव में आने वाली सर्वे टीम से मिलें
- गांवों में SSG 2019 टीम द्वारा आयोजित समूह बैठक में भाग लें जब वे बुलाते हैं
- अपने गांव की स्वच्छता स्थिति पर फीडबैक दें।

अनुलग्नक / विवरणी - 2

राष्ट्रीय पोषण माह- सितम्बर, 2019

ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक - J-11060/67/2015-RL, दिनांक 23.08.2019 के द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार में सितम्बर माह-2019 को राष्ट्रिय पोषण माह के रूप में मनाने के लिए निदेशित किया गया है। यह राष्ट्रीय पोषण मिशन से सम्बंधित लक्ष्यों के प्राप्ति में सहायक होगा एवं इसका मुख्य उद्देश्य समाज में पोषण से सम्बंधित वातावरण का निर्माण करना है। बिहार के सन्दर्भ में यह और भी आवश्यक है क्योंकि यहाँ के 5 वर्ष से कम उम्र के 48.3 % बच्चें कुपोषित हैं। जिसमे अस्वच्छता भी एक महतवपूर्ण कारक है। अतः सितम्बर माह को पोषण माह के रूप में सफलतापूर्वक मानाने के लिए सभी जीविका दीदियों, कैडरों औए कर्मियों को सम्मिलित किया जाय। इस अभियान में सम्बंधित विभिन्न विभागो से सहयोग प्राप्त कर सफल बनाया जाय।

राष्ट्रिय पोषण माह की गतिविधियाँ :-

1. **समूह –** समूह स्तर पर राज्य के सभी समूहों में पुरे माह में केवल चार निम्नलिखित साप्ताहिक गतिविधियाँ की जाएगी –

   a. प्रथम सप्ताह में कुपोषण मिटाने हेतु हस्ताक्षर अभियान – सामुदायिक उत्प्रेरक समूह के बैठक में राज्य द्वारा डिजाईन संसाधन सामग्री पर सभी दीदियों का हस्ताक्षर प्राप्त करना और सम्बंधित जीविका कर्मी के द्वारा BPIU कार्यालय में इंट्री हेतु सप्ताह के अन्त में जमा करवाना।

   b. दुसरे सप्ताह में हाथो की सफाई का अभ्यास तथा पोषण शपथ – सामुदायिक उत्प्रेरक द्वारा सभी दीदियों को हाथ की सफाई का अभ्यास एवं पोषण शपथ दिलवाना। दीदी वार इसकी जानकारी सम्बंधित जीविका कर्मी के द्वारा BPIU कार्यालय में इंट्री हेतु सप्ताह के अन्त में जमा करवाना।

   c. तीसरे सप्ताह में किचन गार्डन को बढ़ावा – सभी दीदी अपने घरों में कोई भी एक सब्जी (नेनुवां, परवल, सेम, बोरो, कोहड़ाएवं कद्दू) तथा फल (पपीता, अमरुद एवं अन्य) का पौधा लगायेंगी। दीदी वार इसकी जानकारी सम्बंधित जीविका कर्मी के द्वारा BPIU कार्यालय में इंट्री हेतु सप्ताह के अन्त में जमा करवाना।

   d. चौथे सप्ताह में खाद्य समूहों पर चर्चा - सामुदायिक उत्प्रेरक के द्वारा सभी समूहों के बैठक में राज्य द्वारा डिजाईन संसाधन सामग्री के माध्यम से खाद्य समूहों (बच्चों और वयस्कों) एवं बच्चों (6 से 12 माह) के भोजन बनाने की विधि पर चर्चा करना। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार का पोषण सन्देश पर चर्चा करना। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या सम्बंधित जीविका कर्मी के द्वारा सप्ताह के अंत में इंट्री हेतु जमा करवाना।

2. **ग्राम संगठन –** सामुदायिक उत्प्रेरक, बुक कीपर और CNRP के द्वारा सभी ग्राम संगठनों में विशेष बैठक में सभी सदस्यों को आमंत्रित कर खाद्य समूहों (बच्चों एवं वयस्कों) तथा कम-से-कम पाँच प्रकार के बने हुए खाद्य पदार्थो का प्रदर्शनी करवाना। इसमें भाग लेने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर लेना और इसको सम्बंधित जीविका कर्मी के द्वारा BPIU कार्यालय में इंट्री हेतु जमा करवाना।

   (नोट – पारिवारिक आहार विविधता अभियान –FDDC हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार सम्बंधित प्रखंडो में यथावत गतिविधियाँ सम्पादित की जाएगी। साथ ही पोषण माह में उपर्युक्त वर्णित गतिविधियाँ भी की जाएगी)

3. **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित समुदाय स्तर पर पोषण गतिविधियों में भाग लेना –**

   a. अन्नप्रासन – ICDS द्वारा माह की 19 तारीख को प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर अन्नप्रासन दिवस का आयोजन किया जाता है, इसमें लक्षित बच्चों एवं उनकी माताओं की भागीदारी करवाना।

   b. आरोग्य दिवस – इस गतिविधी का आयोजन बुधवार और शुक्रवार को प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर किया जाता है, जिसमे लक्षित लाभार्थियों (बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं) की भागीदारी करवाना और उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाना।

   c. गोद भराई – इस कार्यक्रम में लक्षित गर्भवती महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करवाना।

   d. अन्य – ग्राम स्तर पर पोषण सम्बंधित अन्य गतिविधियों में समूह के सदस्यों की भागीदारी करवाना।

4. **रिपोर्टिंग –** BPIU के द्वारा उपर्युक्त सभी साप्ताहिक गतिविधियों का समूह और ग्राम संगठन वार आकड़ा प्राप्त करना और उसका रिपोर्टिंग Existing MIS (पोषण अभियान साईट – www.poshanabhiyann.gov.in) पर करवाना। इस कार्य हेतु Entry operator को प्रति समूह या गतविधी के अनुसार 0.75/- राशि दी जाएगी। इसके लिए प्रखंड परियोजना प्रबंधक existing DEO या किसी भी कैडर या ओपन मार्केट में उपलब्ध डाटा सेंटर से भी इसकी इंट्री करवा सकते है। इस माह की गतिविधियों की इंट्री हेतु प्रखंड परियोजना प्रबंधक आवश्यकतानुसार दो से अधिक इंट्री करने वाले व्यक्ति का चयन कर इंट्री करवा सकते है। प्रत्येक प्रखंड के लिए अधिकतम 2500/- राशि इस इंट्री मद में खर्च की जाएगी। उपर्युक्त साईट पर प्रत्येक गतिविधी की इंट्री हेतु प्रखंडो को Login से सम्बंधित जानकारी साझा की जायेगी। Existing DEO के लिए यह राशि उनके मानदेय के अतिरिक्त देय होगा।

5. **वित्तीय प्रावधान –** इस राष्ट्रीय पोषण माह में प्रिंटिंग हेतु BPIU स्तर पर अधिकतम 3000 /- राशि NRLM CB - Community Mobilization या BTDP के कॉम्पोनेन्ट 3 HNS BCC development मद खर्च किया जायेगा।

कार्यालय आदेश में वर्णित उपर्युक्त गतिविधियाँ कार्यालय आदेश निर्गत होने के बाद आगामी चार सप्ताहो में संपन्न किया जायेगा।

अनुलग्नक/विज्ञ-3

जीविका

गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष :+91-612-250-4980, फैक्स : +91-612-250 4960, ईमेल : info@brlp.in, वेबसाईट : www.brlp.in

पत्रांक:-BRLPS/Proj-SD/1613/19/ 1789 दिनांक:- 06-08-2019

कार्यालय आदेश

पृथ्वी दिवस के अवसर पर दिनांक 9 अगस्त, 2019 को राज्य भर में **"जल-जीवन-हरियाली"** पर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवधि में जल, हरियाली, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा संवर्धन के प्रयोजन से जिला, प्रखण्ड तथा ग्राम के स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जायेगा:-

- **वृक्षारोपण** :- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, मनरेगा एवं सरकारी पौधाशालाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पौधे बड़े पैमाने पर लगाये जायेंगे। इसमें पीपल, बरगद, नीम, पाकड़, गूलर और आम, अमरूद, जामुन जैसे फलदार वृक्षों को अधिकाधिक संख्या में लगाया जाय।

- **जल संरक्षण** :- इस दिशा में सभी जल स्रोतों के संवर्धन, जीर्णोद्धार वर्षा जल के संरक्षण की दिशा में जन-जागरण एवं वैज्ञानिक दृष्टि का प्रचार-प्रसार किया जाय।

2. राज्य स्तर पर मुख्य कार्यक्रम पटना गाँधी मैदान के निकट अवस्थित **'बापू सभागार'** में आयोजित है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिन के 11:00 बजे किये जाने वाला सम्बोधन को इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में देखा एवं सुना जा सकेगा।

3. जिला स्तर पर सम्बंधित जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जहाँ माननीय मुख्यमंत्री के सम्बोधन के प्रसारण की व्यवस्था रहेगी। इस कार्यक्रम में जिला स्तर पर पदस्थापित जीविका कर्मियों की उपस्थिति अपेक्षित होगी तथा जिला मुख्यालय वाले प्रखण्ड की दीदियों को निर्धारित स्थल तक लाने तथा कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त उनको घर तक वापस पहुँचाने का दायित्व भी जीविका की जिला एवं प्रखण्ड इकाइयों का होगा।

4. प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के निदेशानुसार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसमें प्रखण्ड मुख्यालय पंचायत की जीविका दीदियाँ भाग लेंगी। उन्हें निर्धारित सभा स्थल तक सुरक्षित लाने एवं घर पहुँचाने का दायित्व सम्बंधित प्रखण्ड क्रियान्वयन इकाई, क्षेत्रीय समन्वयक एवं सामुदायिक समन्वयक का होगा।

5. माननीय मुख्यमंत्री का सम्बोधन सामुदायिक संगठनों की बैठकों में (ग्राम संगठन/संकुल स्तरीय संघ एवं एफ०टी०आई०सी०) उपलब्ध टेलीविजन से जीविका की दीदियाँ देख-सुन सकेंगी। इसके लिए **पक्की संरचना वाले भवन का चयन** दिनांक 7 अगस्त तक कर जिला एवं राज्य इकाई को इसकी सूचना सम्बंधित प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक द्वारा दे दी जाय।

6. इस अवसर पर संकुल स्तरीय संघों एवं ग्राम संगठनों की विशेष आम सभा का आयोजन किया जायेगा तथा विस्तृत चर्चा कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज की जायेगी।

7. समूह स्तर पर चलाये जाने वाले "एक समूह - दो पेड़ अभियान" पर विस्तृत चर्चा उक्त सभा में की जायेगी तथा इस बात पर बल दिया जायेगा कि प्रत्येक दीदी कम-से-कम एक वृक्ष अवश्य लगाये। साथ ही वर्षा के जल का संरक्षण, शोख्ता गड्डा (Soak Pit) या अन्य माध्यमों से करने एवं वृक्षारोपण तथा जल संरक्षण के उपर्युक्त प्रयासों का लगातार मॉनिटरिंग ग्राम संगठन की सोसल एक्शन कमेटी द्वारा किये जाने की चर्चा भी होगी। इसपर ध्यान रखने की जरूरत होगी कि भविष्य में इन बिन्दुओं पर कार्रवाई भी हो।

8. प्रत्येक समूह में 15 अगस्त एवं 27 अगस्त को वृहत पैमाने पर एक साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जायेगा।

9. उक्त बैठक में दीदियों को मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण कराने की प्रक्रिया समझायी जायेगी तथा आगामी 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकों में वृक्षारोपण हेतु तैयार दीदी का नाम सूचीबद्ध करवाया जायेगा।

10. वृक्षारोपण के लिए **'दीदी की नर्सरी'** हेतु प्रति CLF एक ऐसी दीदी का चयन बैठक में किया जाय जिसके पास कम-से-कम आधा एकड़ जमीन तथा सिंचाई के साधन उपलब्ध हों।

11. यह विशेष कार्यक्रम जल जीवन हरियाली के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से किया जा रहा है। इसलिए आयोजित कार्यक्रम में सामुदायिक स्तर पर वृक्षारोपण, उपलब्ध जल-स्रोतों के संरक्षण आदि से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय एवं कार्यक्रम के समापन के उपरान्त निम्न प्रपत्र में सूचना राज्य कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

क्रम संख्या	नोडल कर्मी का नाम, पद एवं मोबाइल संख्या	पंचायत का नाम	ग्राम संगठन/संकुल संघ/ FTIC का नाम	बैठक स्थान एवं टी.वी. की व्यवस्था	बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संभावित संख्या

12. प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर भाग लेने वाले दीदियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए सुरक्षित वाहन की व्यवस्था जीविका की सम्बंधित जिला एवं प्रखण्ड इकाइयों का होगा। कार्यक्रम में भाग लेनेवाली दीदियों के नाश्ता, भोजन, पानी की आपूर्ति वाहन में ही कर दी जायेगी इसके अतिरिक्त उनके लिए अपेक्षित संख्या में मेडिकल किट की व्यवस्था भी रखी जाय।

13. **जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाली दीदियों के परिवहन, नाश्ता, जल, भोजन, मेडिकल किट एवं बैनर आदि की व्यवस्था हेतु प्रति दीदी अधिकतम 200 रुपये का व्यय** अनुमानित होगा जिसे **B.1.2.1.2 (Non-residential training/ orientation/meeting of member of village level CBOs including TA)** मद में दर्ज किया जायेगा। जिन वाहनों का उपयोग इस कार्यक्रम हेतु किया जाना है उसमें **"जल-जीवन-हरियाली"** विषयक संदेश फ्लेक्स तथा बैनर के माध्यम से द्वारा प्रदर्शित होगा। वाहन में ऐसे जीविका कर्मी पर्याप्त संख्या में रहेंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन का चालन नियंत्रित गति सीमा के अन्तर्गत हो। सभी इकाई इस बात पर ध्यान रखेंगे कि वैसी जीविका दीदी जो स्वस्थ न हों या जिनके छोटे बच्चे/बच्चियाँ हों उन्हें इस कार्यक्रम में नहीं लाया जाय।

14. सभी जिले के Mentor कार्यक्रम की कार्य-योजना एवं Monitoring अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(बालामुरुगन डी०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ वित्त प्रबंधक/ प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक।
2. विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी / मुख्य वित्त पदाधिकारी / प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट / प्रोक्योरमेंट ऑफिसर।
3. सभी कार्यक्रम समन्वयक/राज्य परियोजना प्रबंधक/परियोजना प्रबंधक/ राज्य वित्त प्रबंधक/सहायक वित्त प्रबंधक।
4. राज्य समन्वयक, लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान।
5. जीविका-एस०पी०एम०यू० के अन्य सभी कर्मी।